

पत्र क्रमांक: CTP / 2022 / JAN /12
दिनांक: 24/01/2022 के तहत अनुमोदित

भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र

मैसर्स विवांता कारपोरेशन
जरिये श्री विवेक चौरडिया
पुत्र श्री विनय चौरडिया

विषय :- भूखण्ड संख्या R-17/265, R-17/266 & R-17/266 A क्षेत्रफल 1739.48 वर्ग मी. जो कि योजना इन्द्रप्रस्थ चौरडिया सिटी अजमेर रोड जयपुर के अन्तर्गत है उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र बाबत।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या, R-17/265, R-17/266 & R-17/266 A क्षेत्रफल 1739.48 वर्ग मी. जो कि योजना इन्द्रप्रस्थ चौरडिया सिटी अजमेर रोड जयपुर के अन्तर्गत है उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत योजना के ले-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग (आवासीय) स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।

प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :-

- i. भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल : - 1739.48 वर्ग मी.
- ii. प्रस्तावित भवन का प्रयोजन : - आवासीय
- iii. भूखण्ड के सामने स्थित सडक का मार्गाधिकार (पट्टे के अनुसार) :- 12.02 मी. WIDE

Mayank Sharma 24/01/2022
Ar Mayank Kumar Sharma
82, Shivram Colony
Jagatpura Jaipur
CA/2016/75695
CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

iv. भवन के पैरामीटर साईट प्लान / भवन विनियमों के अनुसार :-

क्र. स.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबैक (मी.)		
	(अ) सामने	7.50 मी.	7.63 मी.
	(ब) पार्श्व प्रथम	6.00 मी.	6.11 मी.
	(स) पार्श्व द्वितीय	6.00 मी.	6.10 मी.
	(द) पीछे	6.00 मी.	6.10 मी.
2.	आच्छादित क्षेत्र	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर
3.	भवन की उँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या	Stilt + (18 मी.)	stilt + 6 (18 मी.)
4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	—	6934.41 Sq.M.
5.	बी.ए. आर क्षेत्रफल	3482.28 Sq.M.	5849.22 Sq.M.
6.	पार्किंग		
	(अ) भू - तल	कार-42 & T.W. -42	कार-50 & T.W.-31
	(ब) बेसमेंट	—	—
	(स)स्टिल्ट	—	—

v. फ्लोर एरिया का विवरण : -

	B.A.R.	G.B.U.A.
(A) Stilt+Guard room	88.50 SQ.M.	1047.20 SQ.M.
(B) भू तल	960.12 SQ.M.	969.46 SQ.M.
(C) प्रथम मंजिल	960.12 SQ.M.	969.46 SQ.M.
(D) द्वितीय मंजिल	960.12 SQ.M.	969.46 SQ.M.
(E) तृतीय मंजिल	960.12 SQ.M.	969.46 SQ.M.
(F) चतुर्थ मंजिल	960.12 SQ.M.	969.46 SQ.M.
(G) पंचम मंजिल	960.12 SQ.M.	969.46 SQ.M.
(F) टेरेस फ्लोर	—	70.45 SQ.M.
TOTAL	5849.22 SQ.M.	6934.41 SQ.M.

- भवन अनुज्ञा अवधि 7 वर्ष अथवा भवन विनियम अनुसार प्रभावी रहेगी। भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक है।
- अग्निशमन N.O.C. एवं अन्य विभागों द्वारा आवश्यक सभी N.O.C. इत्यादि प्रार्थी द्वारा आवश्यक रूप से नियमानुसार प्राप्त की जानी है।
- भवन निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद (पड़ोसी, ठेकेदार अथवा अन्य किसी भी विभाग इत्यादि के द्वारा) हेतु भवन मालिक स्वयं जिम्मेदार रहेगा एवं उक्त कार्यो हेतु समस्त हर्जा खर्चा भवन मालिक वहन करेगा।

Mayank Sharma
24/04/2022
A. Mayank Kumar Sharma
82, Shivram Colony
Jagatpura Jaipur
C-2016/75695
U. RAJ/ARCHITECT/2021/07

5. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क जयपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम जयपुर की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्ड धारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध है।
6. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे में सूचित करूंगा।
7. भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम - 2020 के मानदण्डों एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छिपाया गया है। मेरी सेवाएं व देखरेख में यदि भवन निर्माता, भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करवाया जावेगा।
8. प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं/स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूखण्ड सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।
9. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग से कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।
10. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ - पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि की Reference no. 0000000000000005 (by RTGS) दिनांक 21/01/2022 द्वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के (आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक) प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

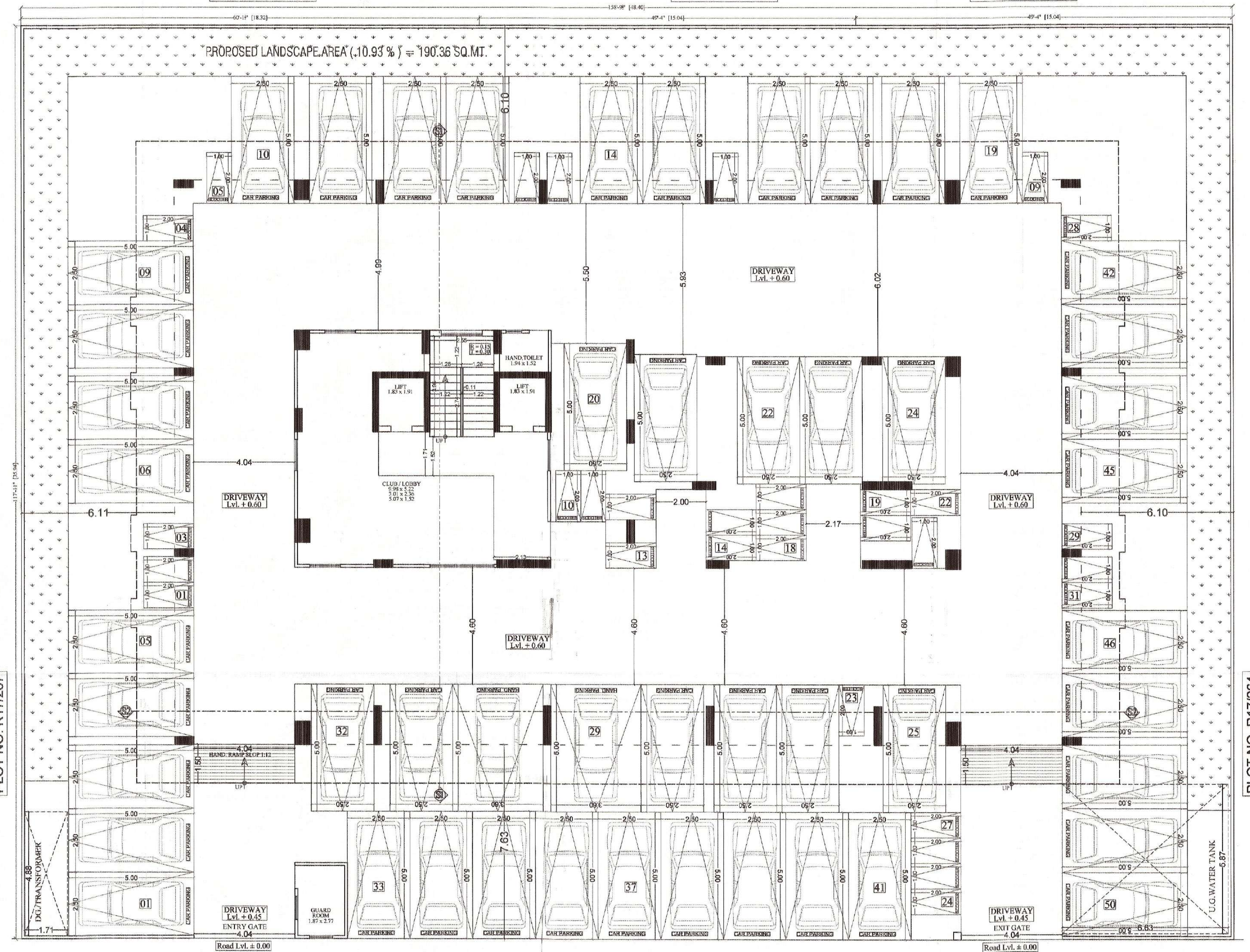
संलग्न : अनुमोदित मानचित्र।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है : -

1. उपायुक्त महोदय (जोन 7.)
जयपुर विकास प्राधिकरण
2. क्षेत्रीय श्रम कार्यालय

Mayank Sharma 24/01/2022
आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील
Ar Mayank Kumar Sharma
82, Shivram Colony
Jagatpura Jaipur
CA/2016/75695
CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

Mayank Sharma 24/01/2022
आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील
Ar Mayank Kumar Sharma
82, Shivram Colony
Jagatpura Jaipur
CA/2016/75695
CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

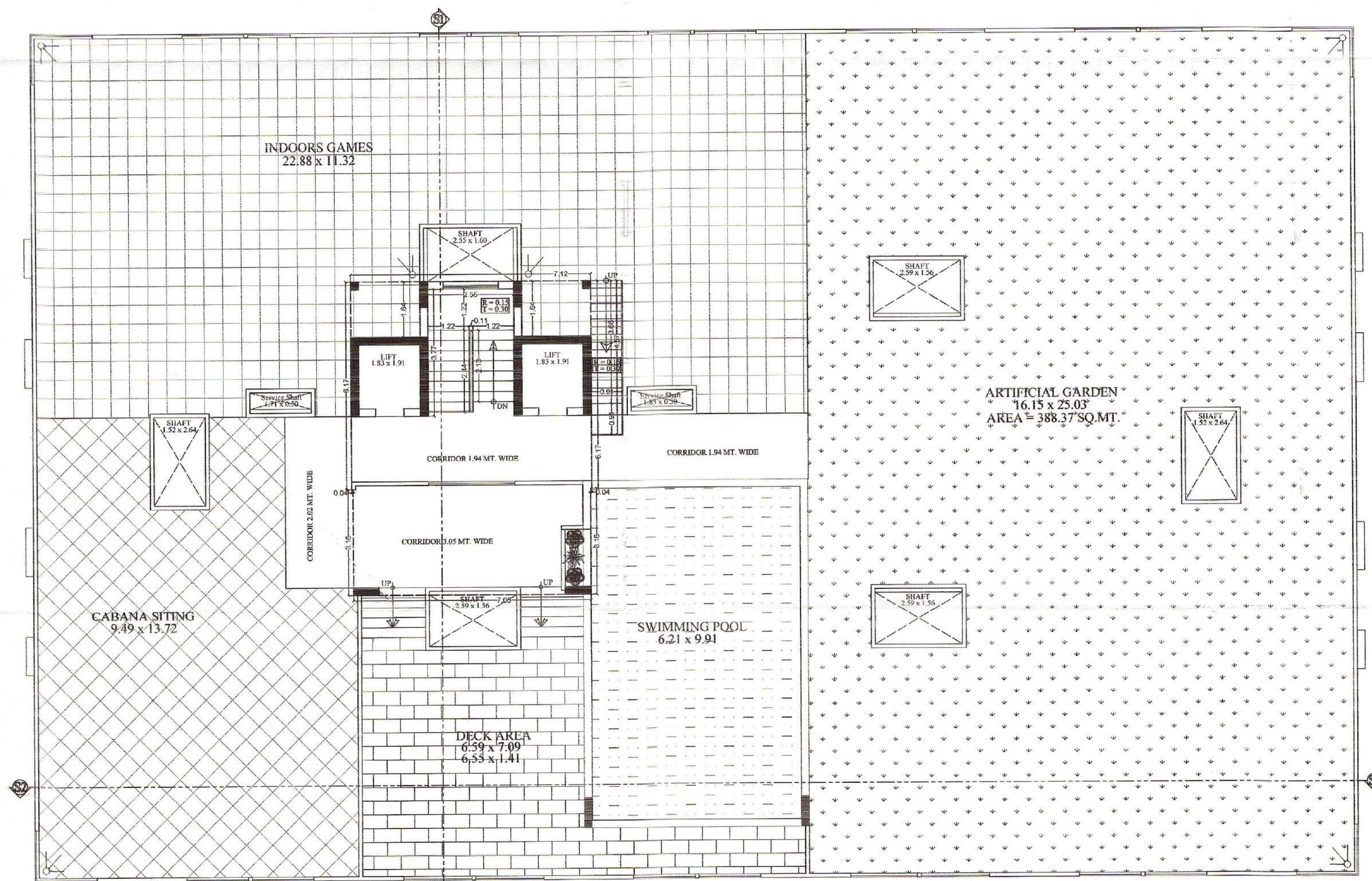


ROAD 12.02 MTR. WIDE

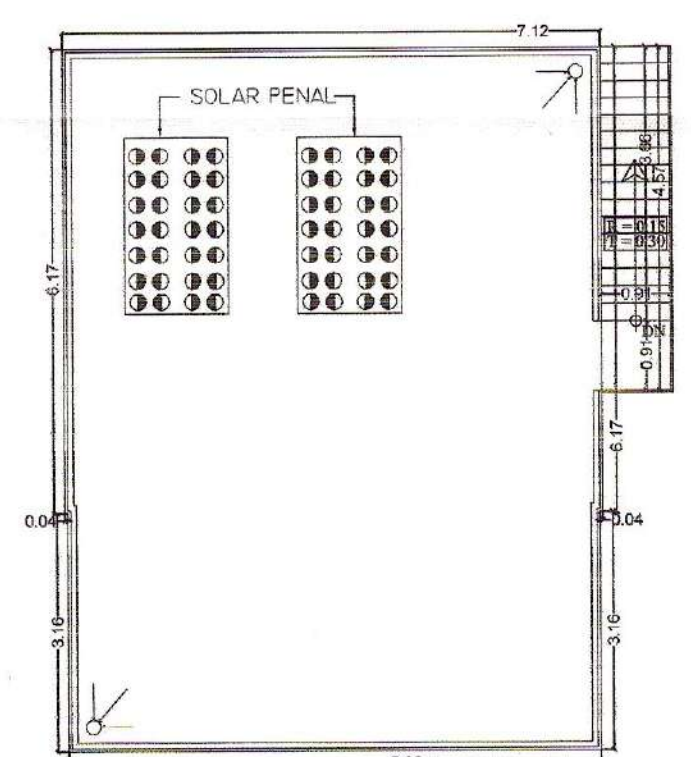
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com



TYPICAL GROUND, 1ST TO 5TH FLOOR PLAN



TERRACE FLOOR PLAN



MUMTY, OVERHEAD TANK, LIFT, MACHINE ROOM. PLAN

अनुमोदित

भवन क्रमांक: CTP/2022/JAN/12
दिनांक: 24/03/2022

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रकार के भवन/सुविधा के लिए आवश्यकता है। इस अनुमोदन से किसी भी प्रकार के भवन/सुविधा के लिए आवश्यकता है।

सर्वोच्च न्यायालय/पटवर्ग/युप हाउसिंग इमारतों एवं व्यावसायिक/संस्थागत भवनों में आम लागू होने वाले नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है।

मॉडल राजस्थान (राजस्थान क्षेत्र) भवन विनियम, 2020 के विनियम में वर्णित निर्देशों के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की सुनिश्चितता की जानी आवश्यक है।

500 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डों में नौकरी पर भवन निर्माण कार्य द्वारा सीकुर मानचित्रों की प्रति दाखल होगी।

Omajay Stamp
Ar Mayank Kumar Sharma
82, Shivram Colony
Jaipur
CA/2016/7/SH-03
CTP RAJARCHITECT/2021/07

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF
PLOT NO. R17/265, R17/266 & R17/266A, (NIJI KHATEDARI)
SCHEME :- "INDRAPRASTH (CHORDIA CITY)" AJMER ROAD, JAIPUR."

OWNER

VIVANTA CORPORATION
Proprietor

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email: info.spacegrid@gmail.com

ARCHITECT :-  **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

पत्र क्रमांक: CTP/2022/JAN/11
दिनांक: 24/01/2022 के तहत अनुमोदित

भवन निर्माण मानचित्र अनुमोदन पत्र

मैसर्स विवांता कारपोरेशन
जरिये श्री विवेक चौरडिया
पुत्र श्री विनय चौरडिया

विषय :- भूखण्ड संख्या R-17/263 & R-17/264 क्षेत्रफल 1081.06 वर्ग मी. जो कि योजना इन्द्रप्रस्थ चौरडिया सिटी अजमेर रोड जयपुर के अन्तर्गत है उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन पत्र बाबत।

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत मेरे द्वारा भूखण्ड संख्या, R-17/263 & R-17/264 क्षेत्रफल 1081.06 वर्ग मी. जो कि योजना इन्द्रप्रस्थ चौरडिया सिटी जयपुर के अन्तर्गत है उसके आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत योजना के ले-आउट, योजना से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों तथा प्रश्नगत भूखण्ड का निरीक्षण कर लिया गया है प्रश्नगत भूखण्ड का भू उपयोग (आवासीय) स्वीकृत योजना के अनुरूप है। भूखण्ड का मौके पर डिमार्केशन कर दिया गया है तथा मौके पर उपलब्ध भूखण्ड का माप, आकार स्थिति व क्षेत्रफल स्वीकृत योजना के अनुरूप ही है।

प्रस्तुत भवन मानचित्र का विस्तृत विवरण निम्न है :-

- i. भूखण्ड का नाप व क्षेत्रफल : - 1081.06 वर्ग मी.
- ii. प्रस्तावित भवन का प्रयोजन : - आवासीय
- iii. भूखण्ड के सामने स्थित सड़क का मार्गाधिकार (पट्टे के अनुसार) :- 12.02 मी. WIDE

Mayank Sharma 24/01/2022
Ar Mayank Kumar Sharma
82, Shivram Colony
Jagatpura Jaipur
CA/2016/75695
CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

IV. भवन के पैरामीटर साईट प्लान / भवन विनियमों के अनुसार :-

क्र. स.	भवन के पैरामीटर	अनुज्ञेय	प्रस्तावित
1.	सैटबैक (मी.)		
	(अ) सामने	7.50 मी.	7.63 मी.
	(ब) पार्श्व प्रथम	4.50 मी.	4.59 मी.
	(स) पार्श्व द्वितीय	4.50 मी.	4.57 मी.
	(द) पीछे	4.50 मी.	4.57 मी.
2.	आच्छादित क्षेत्र	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर
3.	भवन की उँचाई एवं प्रस्तावित मंजिलों की संख्या	Stilt + (18 मी.)	stilt + 6 (18 मी.)
4.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	—	4539.05 Sq.M.
5.	बी.ए. आर क्षेत्रफल	2162.12 Sq.M.	3772.16 Sq.M.
6.	पार्किंग		
	(अ) भू - तल	कार-27 & T.W. -28	कार-30 & T.W.-29
	(ब) बेसमेंट	—	—
	(स)स्टिल्ट	—	—

V. फ्लोर एरिया का विवरण : -

	B.A.R.	G.B.U.A.
(A) Stilt+Guard room	63.98 SQ.M.	704.29 SQ.M.
(B) भू तल	618.03 SQ.M.	628.08 SQ.M.
(C) प्रथम मंजिल	618.03 SQ.M.	628.08 SQ.M.
(D) द्वितीय मंजिल	618.03 SQ.M.	628.08 SQ.M.
(E) तृतीय मंजिल	618.03 SQ.M.	628.08 SQ.M.
(F) चतुर्थ मंजिल	618.03 SQ.M.	628.08 SQ.M.
(G) पंचम मंजिल	618.03 SQ.M.	628.08 SQ.M.
(F) टेरेस फ्लोर	—	66.28 SQ.M.

TOTAL

3772.16 SQ.M.

4539.05 SQ.M.

- भवन अनुज्ञा अवधि 7 वर्ष अथवा भवन विनियम अनुसार प्रभावी रहेगी। भवन निर्माण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष में निर्माण कार्य प्रारम्भ करना आवश्यक है।
- अग्निशमन N.O.C. एवं अन्य विभागों द्वारा आवश्यक सभी N.O.C. इत्यादि प्रार्थी द्वारा आवश्यक रूप से नियमानुसार प्राप्त की जानी है।
- भवन निर्माण के दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद (पड़ोसी, ठेकेदार अथवा अन्य किसी भी विभाग इत्यादि के द्वारा) हेतु भवन मालिक स्वयं जिम्मेदार रहेगा एवं उक्त कार्य हेतु समस्त हर्जा खर्चा भवन मालिक वहन करेगा।

Mayank Sharma 24/01/2022
 Ar Mayank Kumar Sharma
 82, Shivram Colony
 Jagatpura Jaipur
 CA/2016/75695
 CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

5. योजना प्लान में दर्शायी गयी सड़क जयपुर विकास प्राधिकरण / नगर निगम जयपुर की भूमि या अन्य भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण भूखण्ड धारी द्वारा नहीं किया गया है तथा मौके पर सड़क की चौड़ाई योजना में दर्शायी अनुसार उपलब्ध है।
6. यदि भवन निर्माता किसी अवस्था में मुझे मेरी सेवा से मुक्त करता है तो सम्बन्धित विभाग को 48 घंटे में सूचित करूँगा।
7. भवन मानचित्र मॉडल राजस्थान (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम - 2020 के मानदण्डों एवं विनियमों की न तो गलत व्याख्या की गयी है एवं न ही भवन मानचित्र बनाते समय कोई तथ्य छिपाया गया है। मेरी सेवाएं व देखरेख में यदि भवन निर्माता, भवन निर्माण करवाता है तो मेरे द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण करवाया जावेगा।
8. प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक सूचनाएं/स्पष्टीकरण इत्यादि सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर ली गयी थी। भूखण्ड सड़क की निर्धारित चौड़ाई या अन्य किन्हीं प्रतिबन्धों से प्रभावित नहीं है।
9. यदि किसी भी अवस्था में उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कुछ भी पाया जाये तो सम्बन्धित विभाग से कोई भी कार्यवाही मेरे विरुद्ध करने के लिये सक्षम होगा जिसमें मानचित्रों की स्वीकृति रद्द करना अधोहस्ताक्षरकर्ता को विभाग में मानचित्र प्रस्तुत करने की सेवा कार्य से हटाना भी शामिल होगा एवं काउंसिल आफ आर्किटेक्चर को उचित कार्यवाही करने हेतु सूचित किया जा सकता है।
10. आवेदक एवं मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विभिन्न आवश्यक शपथ - पत्र मय अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सत्यापित मानचित्रों की प्रति (भवन विनियम प्रावधानों के अनुरूप) व नगरीय निकाय में भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत विभिन्न मदों के अंतर्गत जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि का Refrence no. 0000000000000004(by RTGS)दिनांक 21/01/2022 द्वारा नगरीय निकाय में जमा कराने के उपरान्त उक्त भूखण्ड के (आवासीय/औद्योगिक/संस्थानिक) प्रयोजनार्थ मानचित्र अनुमोदित किये जा रहे हैं।

संलग्न : अनुमोदित मानचित्र।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है : -

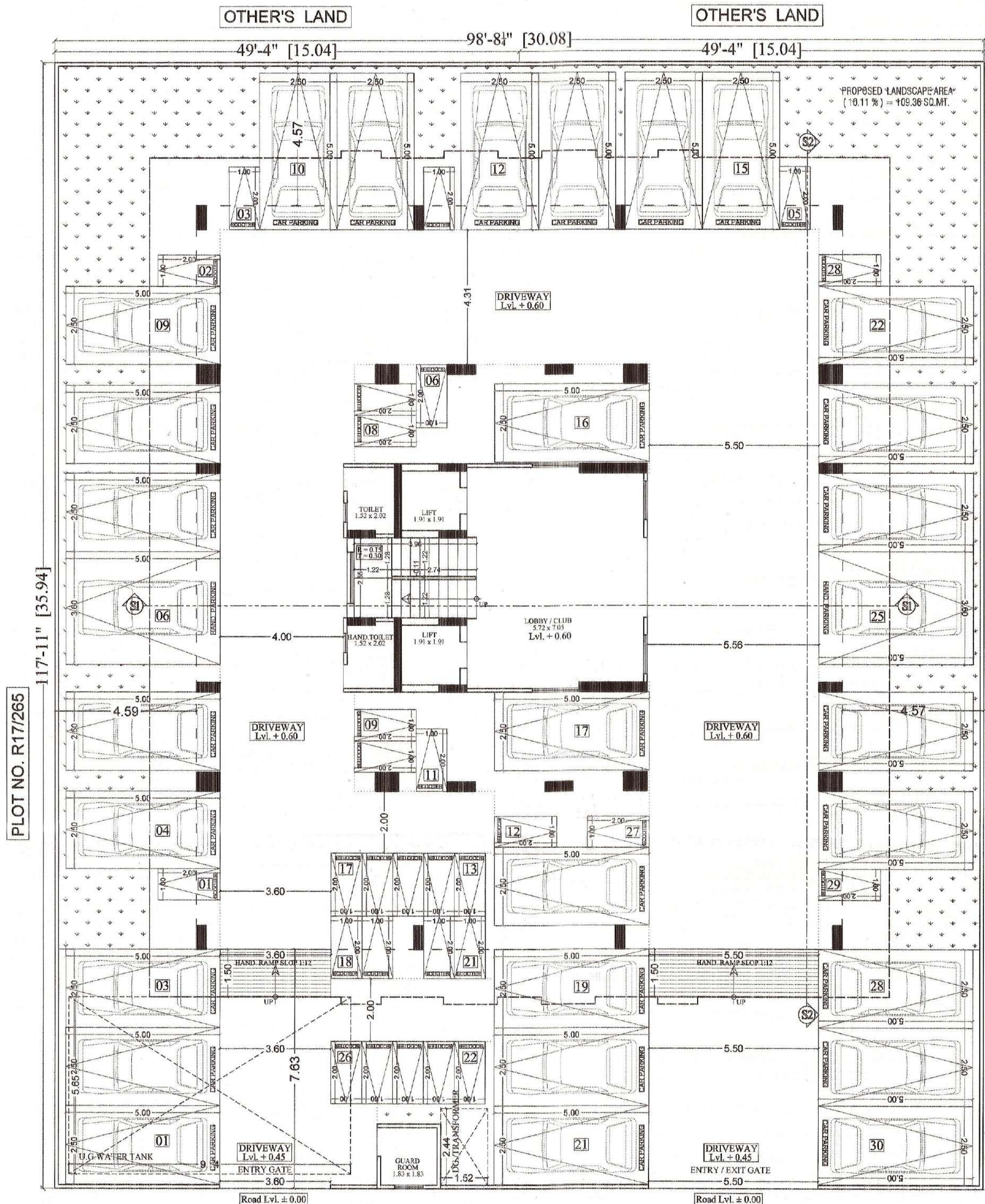
1. उपायुक्त महोदय (जोन 7.)
जयपुर विकास प्राधिकरण
2. क्षेत्रीय श्रम कार्यालय

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

Mayank Sharma 24/01/2022
Ar Mayank Kumar Sharma
82, Shivram Colony
Jagatpura Jaipur
CA/2016/75695
CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

आर्किटेक्ट के हस्ताक्षर मय सील

Mayank Sharma 24/01/2022
Ar Mayank Kumar Sharma
82, Shivram Colony
Jagatpura Jaipur
CA/2016/75695
CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

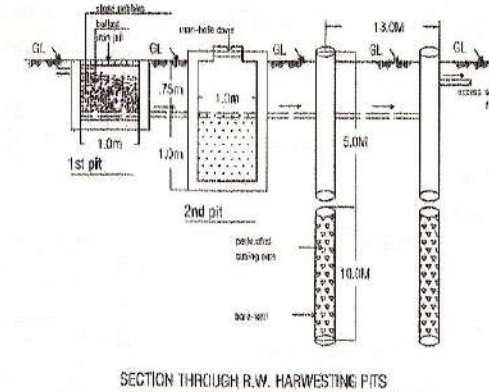
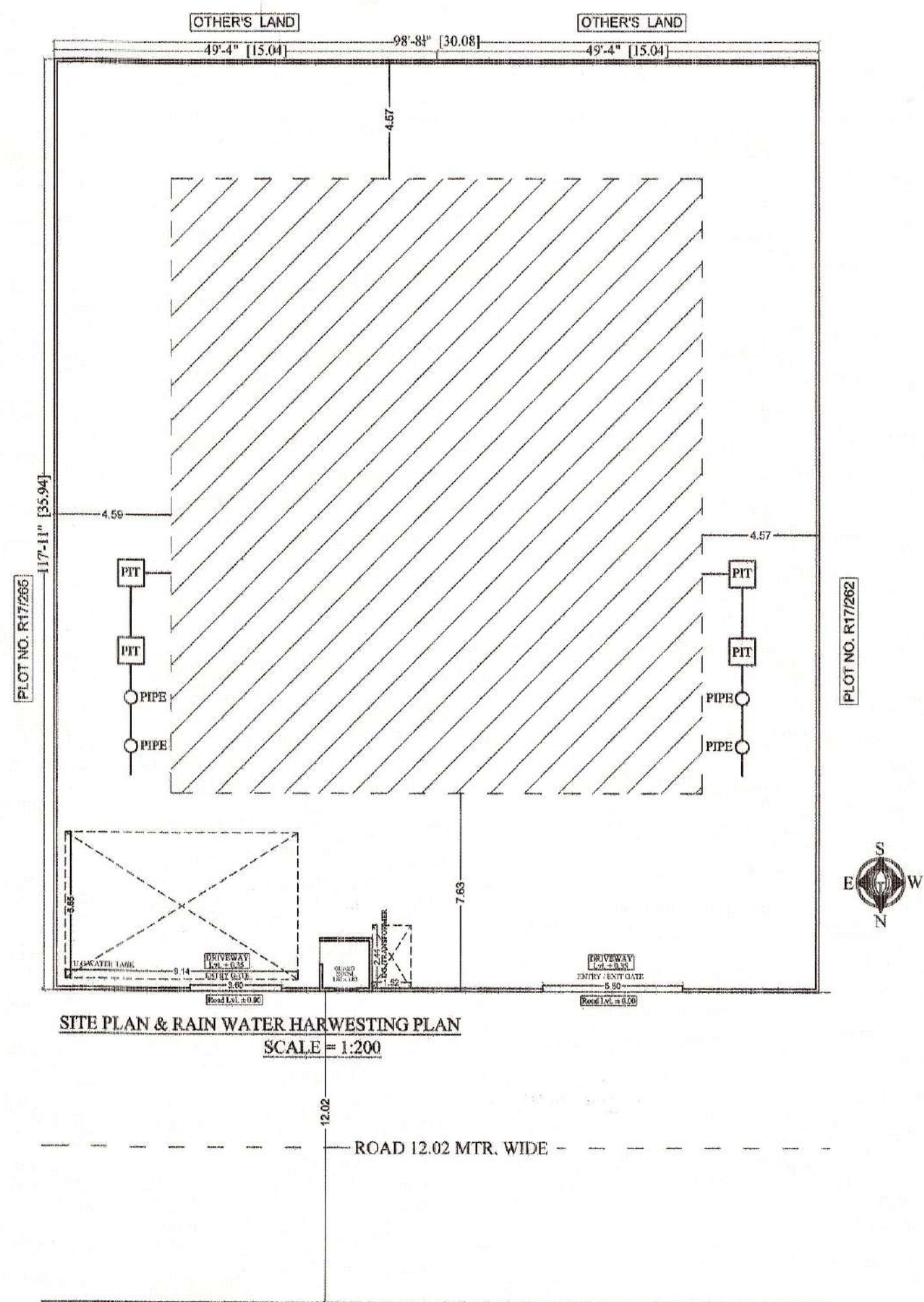


STILT FLOOR PLAN

ROAD 12.02 MTR. WIDE

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)									
S.NO.	FLOOR	BLOCK AREA	CUT - OUT	GROSS BUILTUP	CHAJJA/ELEVATION TREATMENT	PARKING AREA	LIFT WELL	BUILTUP AREA	B.A.R.
1	STILT FLOOR	644.67	-	644.67	148.18	425.25	7.26	63.98	63.98
	GUARD ROOM, U.G. WATER TANK, DG/TRANSFORMER	-	-	59.62	-	-	-	-	-
2	GROUND FLOOR	644.67	16.59	628.08	2.79	-	7.26	618.03	618.03
3	1ST FLOOR	644.67	16.59	628.08	2.79	-	7.26	618.03	618.03
4	2ND FLOOR	644.67	16.59	628.08	2.79	-	7.26	618.03	618.03
5	3RD FLOOR	644.67	16.59	628.08	2.79	-	7.26	618.03	618.03
6	4TH FLOOR	644.67	16.59	628.08	2.79	-	7.26	618.03	618.03
7	5TH FLOOR	644.67	16.59	628.08	2.79	-	7.26	618.03	618.03
8	MUMTY/STAIR	-	-	66.28	-	-	-	66.28	-
9	TOTAL	-	-	4539.05	-	-	-	3838.44	3772.16

CLUB AREA REQUIRED ON STILT FLOOR:-
 REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. (75.44 SQ.MT.)
 OR 50.0 SQ.MT. (WHICH EVER IS LESS)
 PROPOSED CLUB ON STILT = 50.28 SQ.MT.



PROPOSED E.C.U.	CAR	SCOOTERS
OPEN TO SKY	17	5
STILT FLOOR	13	24
TOTAL	30	29
	(39.66 E.C.U.)	

S.NO.	REFERENCE :-
1.	PLOT AREA = 1081.06 SQ.MTR.
2.	PERMISSIBLE B.A.R. = 1081.06 X 2.00 = 2162.12 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 3772.16 SQ.MT. (3.48) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (3772.16) - (2162.12) = 1610.04 SQ.MT.
4.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACK
6.	PERMISSIBLE LANDSCAPE AREA (10.11 %) = 108.10 SQ.MT.
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (10.11 %) = 109.36 SQ.MT.
8.	PERMISSIBLE HEIGHT = PLINTH (1.20 M) + STILT (4.50 M) + 18.0 M = 23.70 M
9.	PROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.60) + STILT (3.62 M) + 18.0 M = 22.22 M
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENTIAL = 3772.16 / 115 = 32.80 + 10% (VISITOR PARKING) CAR = 27, SCOOTER = 28 E.C.U. = 36.08
11.	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 30, SCOOTER = 29 (39.66 E.C.U.)

अनुमोदित

पत्र क्रमांक- CTP/2022/JAN/11
 दिनांक 24/01/2022 के तहत अनुमोदित

हम मानविकीय वा अनुमोदन किसी भी प्रकार से
 नहीं/हमारे द्वारा स्वीकृति का प्रमाण नहीं है।
 अनुमोदित करने वाले अधिकारी का नाम और पद
 सरकारी/नगरपालिका के अधिकारी का होना।

सिमेंट प्लूट गिआस ईकाई/प्लैट/प्लूट हाउसिंग इमारतों
 एवं व्यावसायिक/संस्थागत भवनों में अगल-अगले ही अलाव
 एवं संपत्ति की रक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा के साथ ही स्वतंत्र
 हो पूर्व सूचना भेजने वाले अभिलेखिक संज्ञों को समझाया
 जाना आवश्यक है।

मॉडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन विनियम 2020
 के विनियम में वर्णित भवनों के अनुमोदन आधिकारिक
 रूप से विकसित/व्यवसायिक क्षेत्रों में अगल-अगले ही
 सुनिश्चितता को जानने अनिवार्य है। भवन भवन
 निर्माता के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

500 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक/संस्थागत भूखण्डों
 में भूके पर नाम निर्माण करवा गया स्वीकृत मानचित्र की
 प्रति आम जनता के दायरे में रखी जावेगी।
 मानचित्र की जांच के बाद ही भवन निर्माण शुरू
 किया जावेगा। भवन निर्माण के दौरान भवन
 पार्कों में स्वीकृत मानचित्र प्रमाण होने का तथ्य से एक
 सप्ताह में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा।

Ar Mayank Kumar Sharma
 82, Shivram Colony
 Jagatpura Jaipur
 CA/2016/75695
 CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

SHRI KRISHAN
 ARCHITECT
 CA/89/254

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF
 PLOT NO. R17/263, R17/264 (NIJI KHATEDARI)
 SCHEME :- "INDRAPRASTH (CHORDIA CITY)"
 AJMER ROAD, JAIPUR."

OWNER

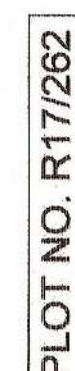
VIVANTA CORPORATION

Proprietor

ARCHITECT :-

SPACE GRID

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
 BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
 JAIPUR-302015
 Ar Mayank Kumar Sharma
 82, Shivram Colony
 Jagatpura Jaipur PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
 CA/2016/75695
 CTP RAJ/ARCHITECT Email: info.spacegrid@gmail.com



TERRACE FLOOR PLAN

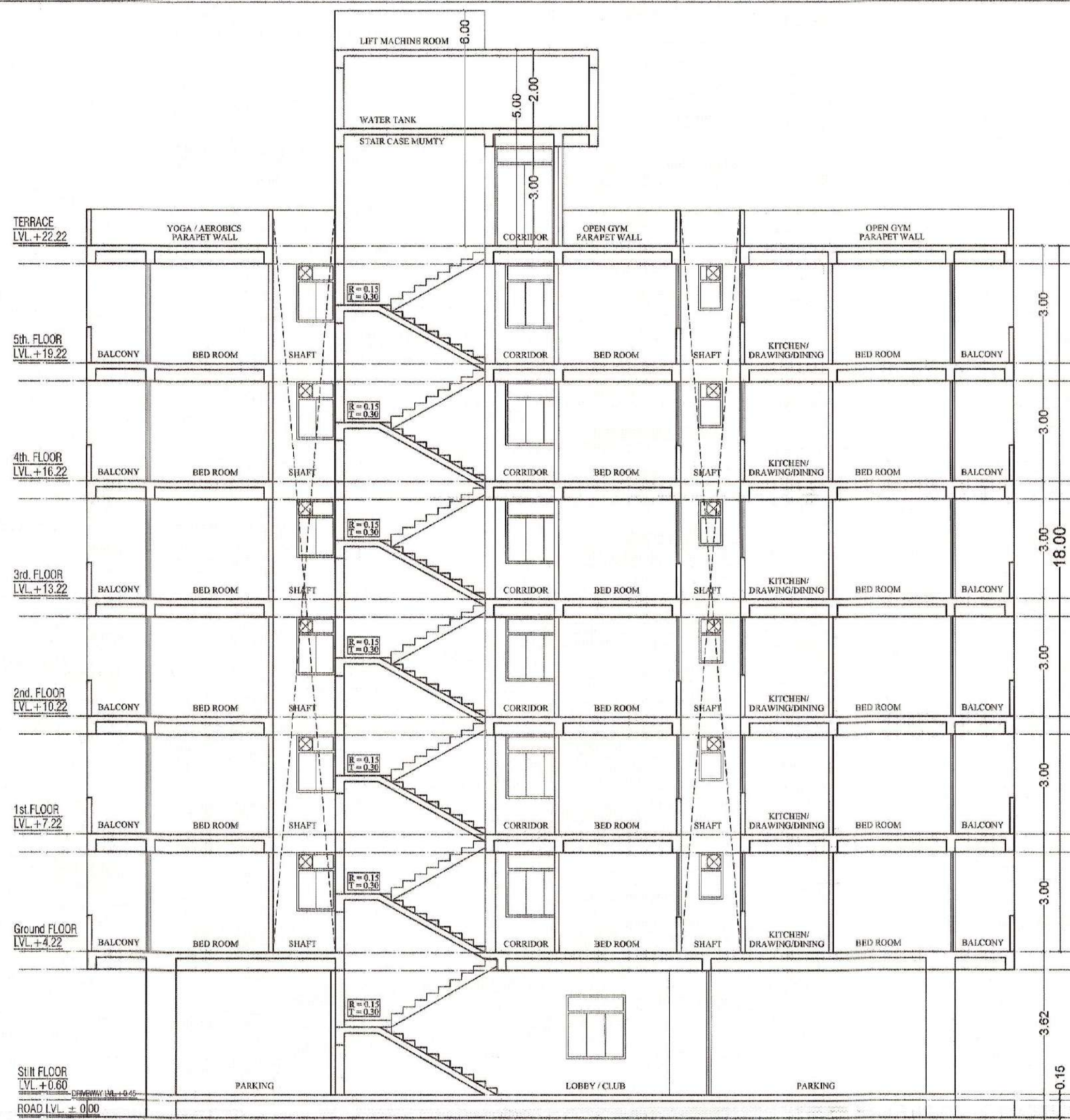
--- ROAD 12.02 MTR. WIDE ---



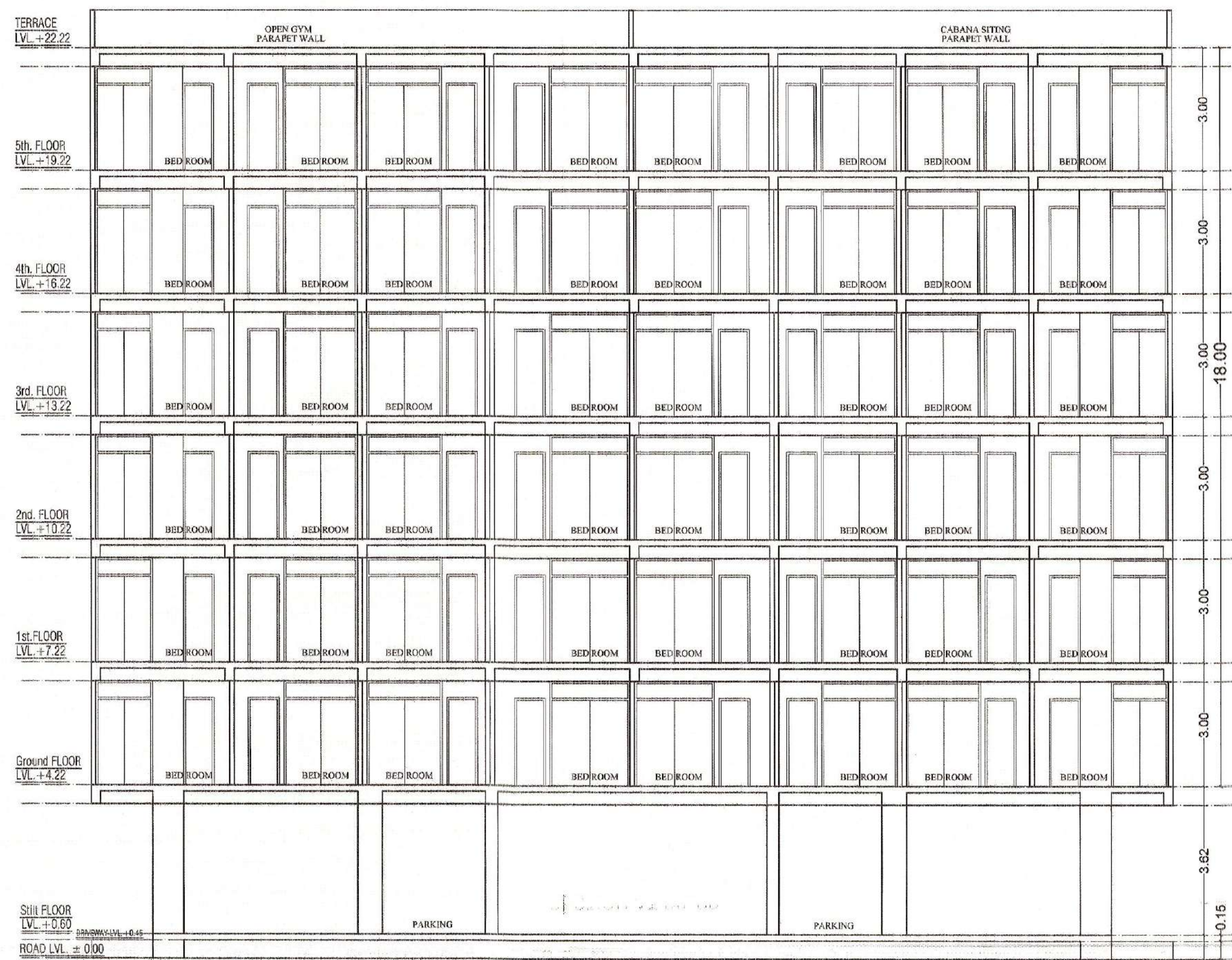
SCALE = 1:100



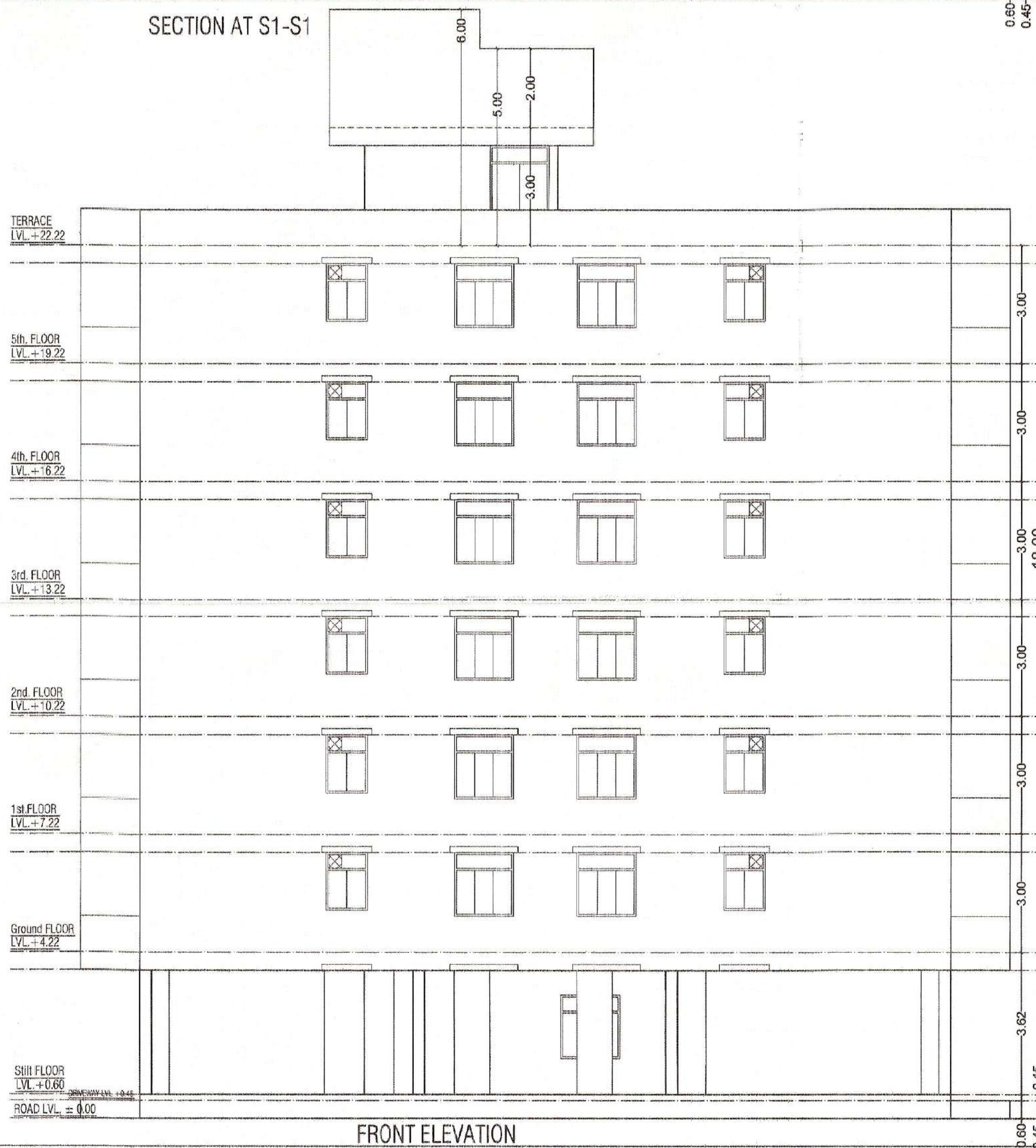
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAGTAPURA JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com
CTP RAJAJARCHITECT/2021/07



SECTION AT S1-S1



SECTION AT S2-S2



FRONT ELEVATION

अनुमोदित

पत्र क्रमांक - CTP/2022/JAH/11
दिनांक 24/01/2022

इस मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रकार का भूमि/संपत्ति का अधिकार नहीं देता। यह केवल मानचित्रों के स्वीकृति के लिए है।
अनुमोदित करने वाले अधिकारी का नाम और पद नीचे दर्शाया गया है।
संरचनात्मक मानचित्रों के अनुरूप प्रार्थी का होगा।

समस्त बहु निवास ईकाई/ फ्लैट्स/ गुरुपरिवार इमारतों एवं व्यावसायिक/ संस्थागत भवनों में अलग अलग ही अलार्म एवं संपर्क व्यवस्था केन्द्र पर स्थापित करने की सलाह दी पूर्व सूचना में जल से अधिकतर राज्यों को लगाया जाना आवश्यक है।

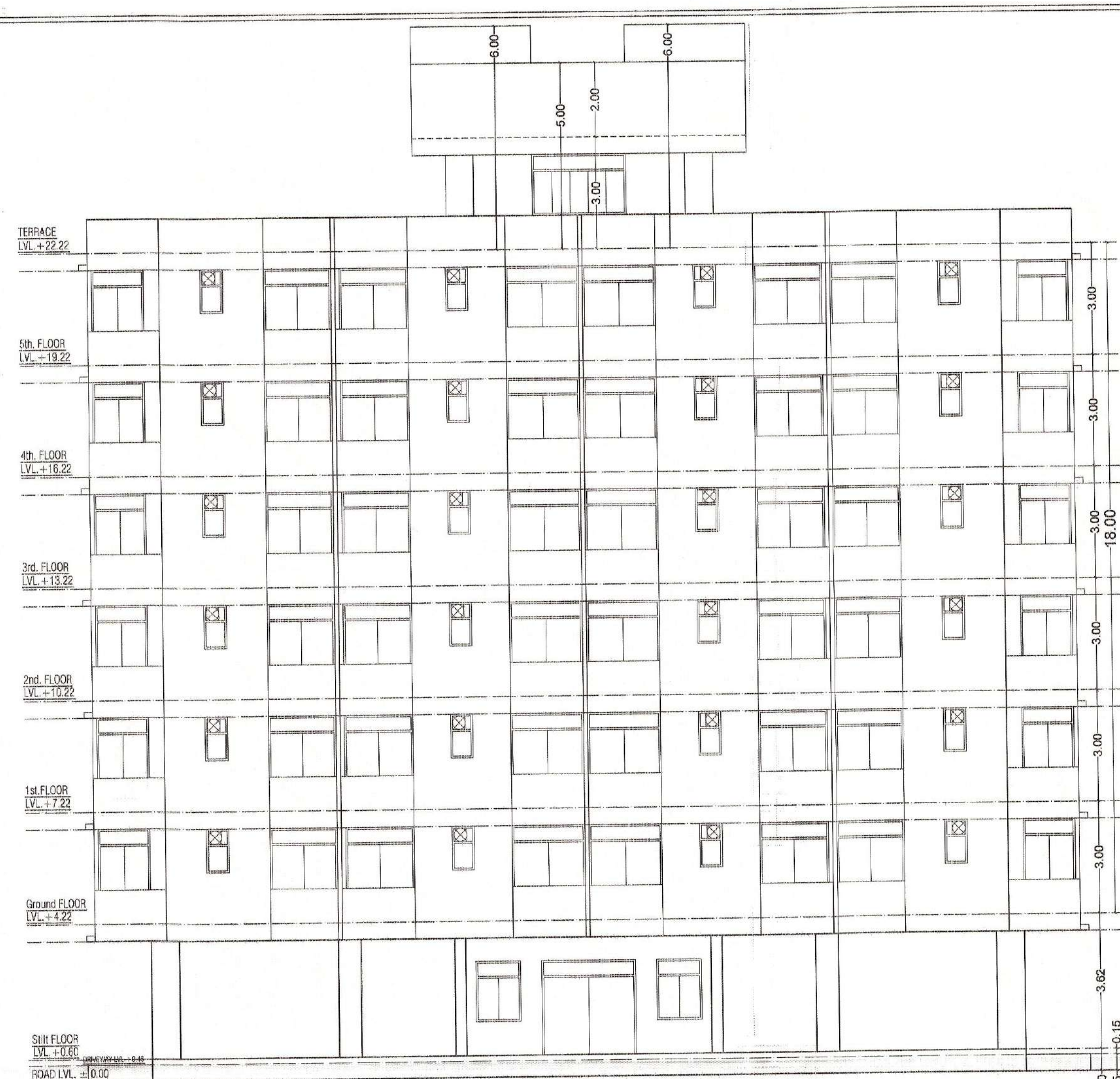
मॉडल राजस्व (नगरपालिका) भवन 20 के विनिर्देश में निर्धारित निर्देशों के अनुसार 'वार्षिक रूप से विकसित व्यक्ति' में दिए गए सुविधाओं की जांच अनिवार्य है।
निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही को जांचनी।

500 वर्गमीटर से बड़े व्यावसायिक/ संस्थागत भवनों में मोके का 100 वर्गमीटर वर्ग स्वीकृत मानचित्र की प्रति आग, जल, गैस, बिजली, पानी की जांचनी।
मानचित्र भवन निर्माण के लिए आवश्यक मानचित्र प्राप्त होने पर ही प्रारंभ किया जाना अनिवार्य होगा।

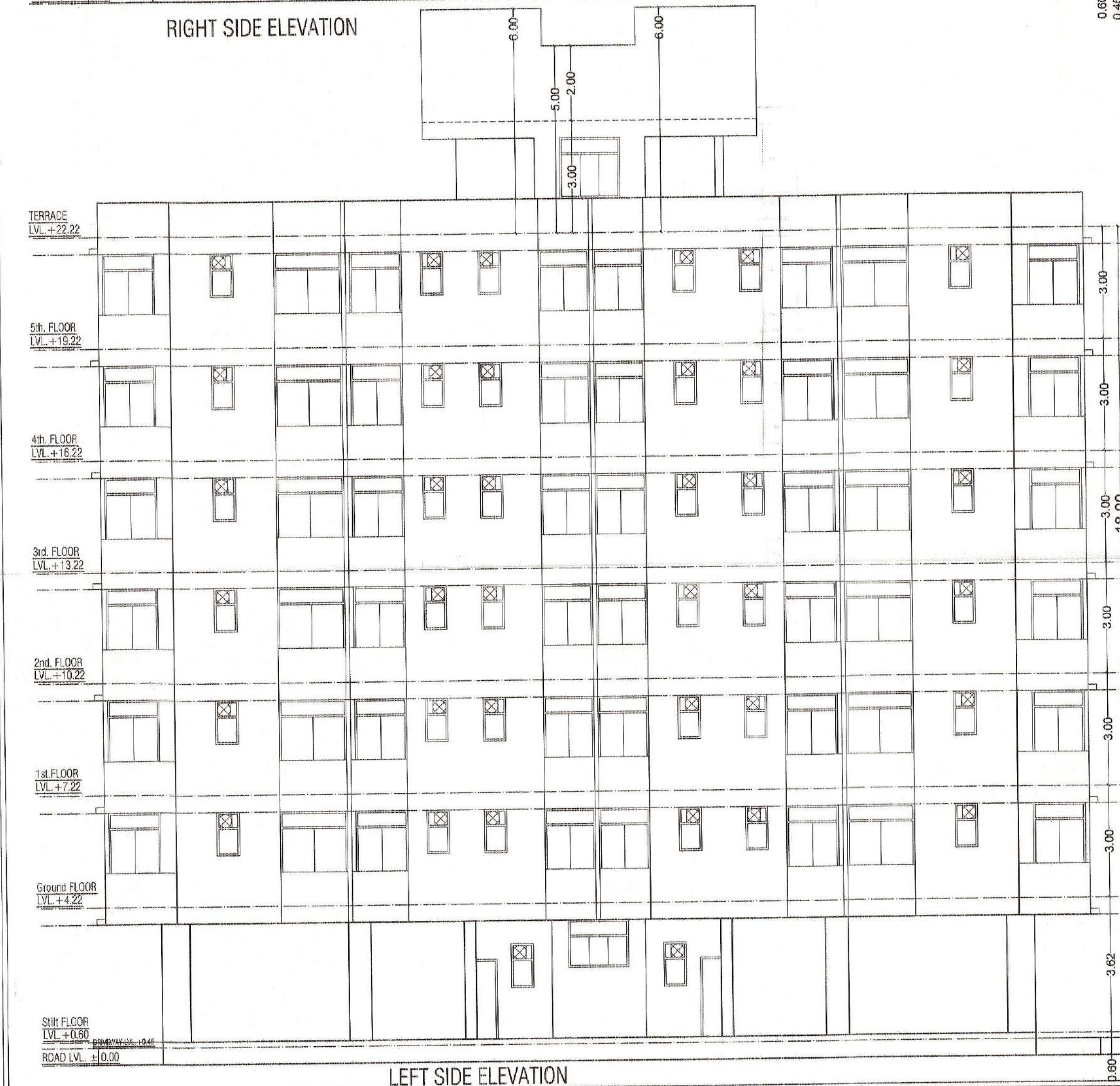
Ar. Mayank Kumar Sharma
82, Shivram Colony
Jagatpura Jaipur
CA/2016/75695
CTP RAJARCHITECT/2021/07

SHRI KRISHAN ARCHITECT
SCALE = 1:100

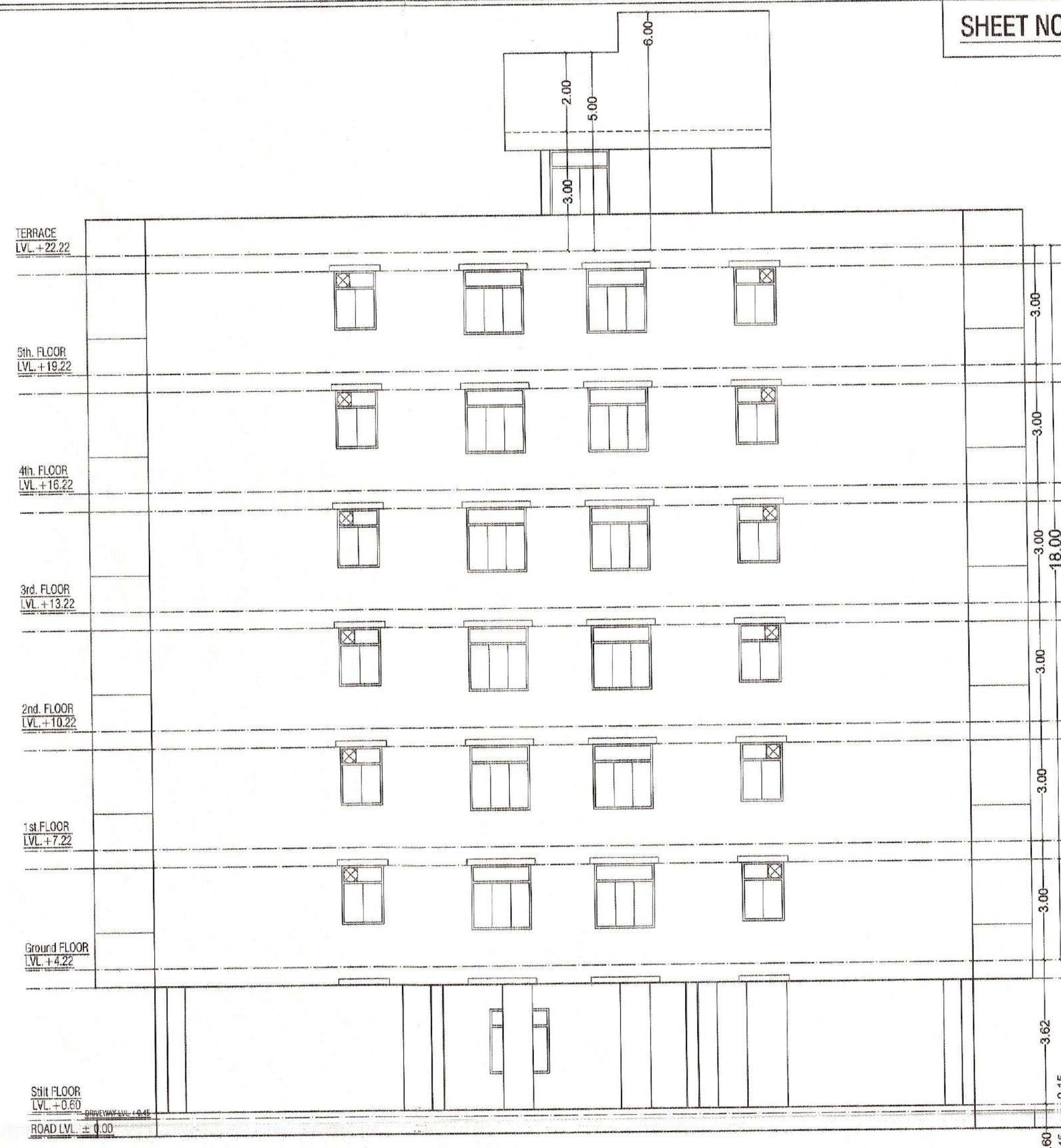
PROJECT :- PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF PLOT NO. R17/263, R17/264 (NIJI KHATEDARI) SCHEME :- "INDRAPRASTH (CHORDIA CITY)" AJMER ROAD, JAIPUR."	OWNER VIVANTA CORPORATION Proprietor	ARCHITECT :- SPACE GRID C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 Ar. Mayank Kumar Sharma 82, Shivram Colony Jagatpura Jaipur CA/2016/75695 CTP RAJARCHITECT/2021/07
---	---	--



RIGHT SIDE ELEVATION



LEFT SIDE ELEVATION



BACK ELEVATION

अनुमोदित

पत्र क्रमांक: CTP/2022/JAN/11
दिनांक: 24/01/2022 के तहत अनुमोदित

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रकार की स्थिति/समस्या के समाधान का प्रमाण नहीं माना जायेगा। यदि किसी के सम्बन्धित समाधान को स्वीकारा जाये। अनुमोदन मिले तब मानचित्रों में काटे गये भागों के संरक्षण (Structure) का वह प्रसिद्धाचार मानचित्रों के अनुरूप प्रार्थी का होगा।

समस्त बहु निवास इकाई / पर्यटन / ग्राम हाउसिंग इमारतों एवं व्यावसायिक / संस्थागत भवनों में आम लगते ही अलार्म एवं संप्रेषण उपकरणों के पर्याप्त स्थापित स्थापना की स्वतः ही पूर्व सूचना भेजने वाले अग्नि सूचक यंत्रों को लगाया जाना आवश्यक है।

गौडल राजस्थान (नगरीय क्षेत्र) भवन वि. 2020
के दिनिमय में वसित निर्देशों के अनुसार वार्षिक
रूप में निर्देशानुसार निर्देशों के अनुसार
सुनिश्चितता को जारी रखें। भवन
निर्माण के लिए निर्देशानुसार कार्यवाही कर जावेगी।

600 गीतकारों से बड़े व्यावसायिक / संस्थानगत भूखण्डों में मौकों पर अपने निर्माण यन्त्रों द्वारा स्वीकृत गानसिद्धि की प्रति आपस में बाँटते हैं।

की जाने वाली प्रतिलिपि के माध्यम से सर्वत्र प्रसारित की जाती है।

इसके अलावा, प्रसारित किया जाना अनिवार्य होगा।

Ar Mayank Kumar Sharma
82, Shivram Colony
Jagatpura Jaipur
CA/2016/75695
CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07

SHRI KRISHNAN
ARCHITECT
CA/99/25451
SCALE

SCALE = 1:100

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF
PLOT NO. R17/263, R17/264 (NIJI KHATEDARI)
SCHEME :- "INDRAPRASTH (CHORDIA CITY)"
AJMER ROAD, JAIPUR."

OWNER

VIVANTA CORPORATION
Proprietor

ARCHITECT :-

SPACE GRID

Ar Mayank Kumar Shrivastava
82, Shivram Colony
Jagatpura Jaipur
CA/2016/75695
CTP RAJ/ARCHITECT/2021/07